

मध्यप्रदेश शासन  
गृह (सी-अनुभाग) विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई, 2016

क. एफ 35-82/2016/दो/सी-2, यतः आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (2005 का 53) की धारा 78 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित नियमों की कंडिका-4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन श्री सुरेन्द्र सिंह (सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक) को आगामी आदेश तक म0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में उप सभापति नियुक्त करता

है।

2. यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील माना जावेगा तथा श्री सिंह की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जावेगी।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(संजीव श्रीवास्तव)  
उप सचिव,  
म0प्र0 शासन, गृह विभाग

3 0 JUL 2016

USC(2)

प्रतिलिपि

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
3. श्री सुरेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक, भोपाल।
4. निज सहायक, मा0 मंत्री, गृह एवं परिवहन, भोपाल।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव मंत्रालय, भोपाल।
6. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, गृह, मंत्रालय, भोपाल।
7. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, गृह, मंत्रालय, भोपाल।
8. समन्वयक/सचिव, म0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भोपाल।

उप सचिव,  
म0प्र0 शासन, गृह विभाग